लोक लेखा समिति मामला

संख्याः फिन–ए–ए (4)–1/2012–1
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि.प्र.

28 NOV 2018

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.

प्रेषितः

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–171002, 23–10–2018

विषयः वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान दत्तमद अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमतिकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय के कारणों का ज्ञापन विभागीय उत्तरों के आधार पर तैयार करके माननीय लोक लेखा समिति के विचारार्थ/संवीक्षार्थ भेजा गया था। माननीय समिति ने विभागीय उत्तरों के परीक्षणोंपरांत उन पर लोक लेखा समिति के 16 वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) के रूप में अपनी सिफारिशें दी है जो कि सम्बन्धित विभागों को इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 13.09.2018 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। माननीय समिति ने अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित निर्देश भी दिए हैः–

1. विभाग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बजट आकलन प्रस्तुत किया करें ताकि बचतों/आधिक्यों/आवश्यकता से पूर्व खजाने से राशि का आहरण जैसे कारणों से वित्तीय नियमों का उल्लंघन न हो और माननीय समिति ने यह भी चेतावनी जारी की है कि भविष्य में अनुदानों से अधिक व्यय की नियमित प्रक्रिया की पुनरावृति न करें तथा आवश्यता से पूर्व खजाने से राशि निकालने की गैर–जिम्मेदाराना प्रवृति कदापि न अपनाई जाए।

2. वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बगैर कोई भी व्यय अन्य मदों में करें तथा आकस्मिकताओं के मध्यनजर वित्त विभाग से पूर्व समय पर अनुमति प्राप्त करें।

माननीय लोक लेखा समिति ने बिना प्राधिकृत या स्वीकृति के व्यय करने की विभागों की प्रवृति को गम्भीरता से लिया है और दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। माननीय समिति ने उसे इस बारे में भी अवगत करवाने की अनुशंसा की है कि क्या कभी वित्त विभाग ने आधिक्य की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए उन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों /विभागध्यक्षों के विरूद्ध कभी कार्रवाई की है जो स्वीकृत/पूर्वानुमोदन के खजाने से राशि का आहरण करते है या अग्रिम रूप में खजाने से राशि आहरण करते हैं।

इस बारे में वित्त विभाग द्वारा समस्त प्रशासनिक सचिवों और समस्त विभागाध्यक्षों से समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए जाते रहे हैं परन्तु विभागों द्वारा उनकी अनुपालना नहीं की जा रही है। यहां पुनः उल्लेख किया जाता है कि दत्तमत अनुदान/प्राधिकृत विनियोग से अधिक व्यय करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम, 14 का सुस्पष्ट उल्लंघन है।

इस मामले का वित्त विभाग में विस्तार से परीक्षण किया गया और निर्णय लिया गया कि समस्त विभाग संवैधानिक प्रावधानों, वित्तीय नियमों और माननीय लोक लेखा समिति की सिफारिशों की

A-II
To circulate in field.
One copy to AI
3021
5-12-18

अक्षरक्षः अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। अगर भविष्य में कोई विभाग वित्त विभाग के पुर्वानुमति के बिना दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय करता है तो वित्त विभाग के पास सम्बन्धित आरहण एवं संवितरण अधिकारी/विभागाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने के सिवाए कोई और विकल्प नहीं होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करने हेतु इन्हें समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाने की कृपा करें।

भवदीय,

–हस्ता0–
(रिखी राम)
संयुक्त सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001.

पृष्ठांकन संख्याः ई.डी.एन.–एच.ई. (4) सी (3) 2/2017 दिनांकः शिमला– । नवम्बर, 2018
प्रतिलिपि आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैः

1. संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन)/आहरण एंव वितरण अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001.
2. कमाडैन्ड, एन0 सी0 सी0 ग्रुप हैड क्वाटर्ज, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004.
3. प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
4. प्राचार्य, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि वह अपने अधिनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र आवश्यक दिशा निर्देश हेतु प्रेषित करें।
7. मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
8. पुस्तकाध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय, रिज शिमला, हिमाचल प्रदेश।
9. शाखा प्रभारी, योजना शाखा, छात्रवृति शाखा, सामान्य शाखा, रोकड़ शाखा, भवन शाखा, आई0 टी0 कक्ष एंव शारीरिक शाखा शिक्षा निदेशालय (आन्तरिक)।

Kindly upload on the Departmental website.

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि.प्र.

dsharma
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

2 8 NOV 2018

Endst No: Even Dated:- 17-12-18
EDN-U-(A-II)/Budget)/- 9084
Office of the, Dy. Director Hr. Education
Una Distt Una (H.P)
Forwarded in original to all the Principals/Headmasters of GSSS/GHS in Una Distt for information & compliance.

Dy. Director Hr. Education
Una Distt Una (H.P)